24.4.2025 तारीख को आवेदक / उपस्थित / याचिका
का अवलोकन करने पर पाया की वादी
का वाद स्वीकार के लिए है प्रतिवादी
वकील कोर्ट उपस्थित नहीं हुए हैं। पक्षकार
व्यवहार प्रक्रिया की धारा 35 के तहत कार्यवाही
डिसमिस होने / वापसी उपस्थित नहीं होने
के कारण प्रतिवादी का प्रतिदावा आदेश
पत्रक व आदेश हार्दिक है स्वाक्षरित
किया जाता है।

याचिका आदेश अनुसार होने
दांखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) जालोरा